

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

58-59 And 61



क्रमांक :- प.4(66)वित्त-1(1)आय.व्य/2019

जयपुर, दिनांक : 16/03/2021

स्वीकृति संख्या- 705/2020-21

कोषाधिकारी
बारां (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 90.00 लाख मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृतियों में अंकित शर्तों के अनुसार, कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति शाहबाद (बारां) के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 90.00 लाख (अक्षर रूपये नब्बे लाख) मात्र निम्नांकित बजट मदों को प्रभारित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जायें।

मांग संख्या - 30

(राशि रूपये लाखों में)

क्रम संख्या	बजट मद (केन्द्रीय सहायता)	स्वीकृति संख्या	राशि
1.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (19) - केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत संचालित योजनाएँ [02] -सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत नवाधार योजनाएँ हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	क्रमांक-एफ.6 / सीटीएडी/ लेखा / प्रस्ताव/ सी.एस.एस/ 2020-21/ जयपुर दिनांक 08.03.2021 58/2020-21	10.00
2.	[05] -सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी को मानदेय हेतु अनुदान 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	59/2020-21	50.00
3.	[11]- सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत जनजाति विधार्थियों के लिए कोषिंग 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	61/2020-21	30.00
योग			90.00

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

A.O.TAD
16/3

भवदीय,
— sd —
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. अतिरिक्त कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति शाहबाद (बारां)।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

Letter to O.A.D. Jaipur
Date: 16/03/2021
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)